123

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक- R4311-I-16 /2015-16

पुनरीक्षणकर्ता : चिरौंजी लाल युदवंशी पिता स्व. श्री सुक्कु गौली उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी- ग्राम दमुआ रैयत, तहसील उमरेठ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

द्वारा आज दि. 23.12.16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

उत्तरार्थीगण : मध्यप्रदेश शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 491/अ-68/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमरेठ द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ-68/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करता है कि :-

857 23/12/16

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, ग्राम दमुआ रैयत, तहसील उमरेठ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का स्थीय निवासी है ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता को वर्ष 1997-98 में शासकीय भूमि जो शासकीय अभिलेखों में आबादी में दर्ज है, जिसका खसरा कमांक 89/1 रकवा 6.99 हेक्टेयर में से 900 वर्गफुट भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर मकान बनाकर पिछले 34-35 सालों से निवास कर रहा है तथा उक्त भूमि पर उसके द्वारा नलकूप का उत्खनन आदि भी कर लिया गया है । उक्त पट्टे की प्रति यहां संलग्न है जो **प्रदर्श पी-1** है ।

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE ...
Smt. Manju Singh Parmar
19/12/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4311/ एक/2016 निगरानी जिला–छिन्दबाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-2-17	यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 491/अ–68/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि पटवारी हल्का नं. 22 राजस्व निरीक्षक उमरेठ द्वारा तहसीलदार उमरेठ के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया। कि चिरौजी पिता सुक्कु निवासी दमुआ द्वारा शासकीय भूमि खसरा नं. 89 रकवा 2.829 में से रकवा 0.214 पर फसल बोकर मकान बनाकर एवं बाढ लंगाकर अतिक्रमण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। जिसपर आवेदक द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया। जिसपर 1500 रूपयें अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जब आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसके विरूद्व सिविल जेल की कार्यवाही का प्रस्ताव अनुविभगीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.05.2015 को आदेश पारित कर भू–राजस्व संहिता की धारा 248 (2) ए	

के तहत् 15 दिनो के लिये सिविल जेल भेजने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 16.11.2016 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को अतिक्रांमक मानने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह शासकीय पट्टेदार है और पट्टे पर दी गयी भूमि पर काबिज है तथा उसका पट्टा आज वर्तमान समय में कायम है। ऐसी स्थिति में उसे अतिक्रमांक मानने में अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है एवं इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा विचार नहीं किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश अपास्त किये जाये। अंत में वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश यथावत् रखने की प्रार्थना की गयी।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को सरपंच ग्राम पंचायत दमुआ रैयत जनपद पंचायत परासीया

छिन्दबाडा आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्रकरण क्रमांक 01/अ–66/1997–98 में जारी किया गया था। जिसके आधार पर वह उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर चला आ रहा है आज वर्तमान समय मे 34–35 वर्ष हो गये है। उपरोक्त वर्षो से आवेदक का मकान बना हुआ है तथा वह निवास कर रहा है तथा साथ ही साथ उसके द्वारा नलकूप का उत्खन्न किया है उपरोक्त स्थिति की विधिवत् जॉच किये बिना तथा दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना आवेदक को शासकीय भूमि का अतिक्रांमक माना गय है, जो अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत है ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 491/अ–68/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 तथा अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–68/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 तथा तहसीलदार उमरेठ द्वारा आवेदक के विरूद्व की गयी अतिक्रमण की कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य